न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 361
दायरा तिथि : 30-09-24
आदेश तिथि : 28-10-24
प्रार्थी :–

श्रीमति डाली देवी पत्नि करण कुमार जाति मेघवाल, निवासी फालना गांव, तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश   दिनांकः 28-10-24

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 486 / 14 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 15 रकबा 0.9300 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2024 / 2247 दिनांक 18.10. 2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थीया के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एकमात्र स्त्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्त्रोतो के विकल्पों में से सबसे निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं वर्तमान में इसी रास्ते को आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है।
4. यह है कि ग्राम जादरी में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	15	0.9300 हैक्टर	बा. दो.	75X09=675 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि भू–अभिलेख निरीक्षक खुडाला की रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि की पंजीयन रेकर्ड अनुसार डी.एल.सी. दर 1,79,002 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व परीकार सरकार की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं प्रथम उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2024/361

अनचान डाली देवी बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 486/14 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2247 दिनांक 18.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 486/14 रकबा 1.3000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम जादरी पटवार हल्का बेडल तहसील बाली के खसरा नंबर 15 रकबा 0.9300 हैक्टर में से **675 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,79,002 /–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
15	0.9300 हैक्टर	75X09=675 वर्गमीटर	18	12150X2=24300	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 24,300/– (अक्षरे चौबीस हजार तीन सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/2223-2227
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3.पटवारी हल्का, बेडल
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्रीमति डाली देवी पत्नि करण कुमार जाति मेघवाल, निवासी फालना गांव तहसील बाली, जिला पाली (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner